

कार्यक्रम का नाम :- District Programme Management Unit

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक के आधार पर)-Strengthening of District Society/DPMU

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक के आधार पर)-A.14.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण(5-10 वाक्य अधिकतम)

राज्य के सभी 38 जिलों में जिला स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जिला में निम्नलिखित सलाहकार नियुक्त किये गये हैं :

जिला कार्यक्रम प्रबंधक -1

जिला लेखा प्रबंधक -1

जिला अनुश्रवण एवं अन्वेषण पदाधिकारी -1

सभी जिलों में DPMU की स्थापना से NRHM के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने का उद्देश्य है । वर्ष 2010-11 के PDP में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वेतन बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव अनुशंसित किया गया है ।

इकाई राशि (रु0 लाख में)-प्रति जिला इकाई राशि निम्नलिखित है:-

One DPMU Expenses:

Particular	No. of Post	Salary (PM)	Annual Increment (10%)	Annual Increment (10%)	Expenses (PM)	Amount (Per Anum)
District Programme Manager	1	23000	25300	27830		333960
District Accounts Manager	1	18000	19800	21780		261360
District M & E Officer	1	15000	16500	18150		217800
Mobility and Office Expenses ***					55000	660000
Data Operator/Assistant	2	8000				192000
Office Assistant(Accounts)**	1	6000				72000
Office Assistant *	1	6000				72000
Rent of DHS Office					6000	72000
Meeting Expenses					5000	60000
Purchase of Furniture						20000
Total						1961120

*** कार्यनालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक-SHSB/FA/21/2006/5492, दिनांक-06.03.2008 में अंकित है कि प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समिति दो वाहन किराये पर रख सकते हैं ।

निदेश दिया जाता है कि जिला का अनुश्रवण हेतु एक वाहन सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन एवं एक वाहन जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट के अधीन रहेंगे ।

वाहन मद में होने वाले खर्च की राशि का भुगतान Mobility and Office Expenses मद से किया जा सकता है ।

**Office Assistant (Accounts)-1 के पद पर चयन हेतु स्नातक(कॉमर्स) उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है । इस पद हेतु आयु कम-से-कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए ।

*Office Assistant-1 के पद पर चयन हेतु स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है । इस पद हेतु आयु कम-से-कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए ।

द्वितीय दिशा-निर्देशन-

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम-श्री अशोक कुमार सिंह

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर-0612.2292059



प्रशासी पदाधिकारी

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जिला स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर) : A.14.3 (RCH-II)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) : A.14.3 (RCH-II)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी (5-10 वाक्य अधिकतम) :

गतिविधि का उद्देश्य:

1. NRHM के वित्तीय मार्गदर्शन के सिद्धांत के अनुसार जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक Double Entry System में लेखा संधारण करवाना ताकि NRHM के Financial Guideline का अनुपालन हो सके।
2. जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक गबन, छद्मनिकासी, दुर्विनियोग एवं अनियमित व्यय की रोकथाम।

गतिविधि किसके द्वारा की जाएगी:

जिलों के द्वारा, जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा।

गतिविधि का समय:

पूरे वर्षभर

गतिविधि किस स्तर पर की जायेगी:

जिलों के द्वारा, जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा

गतिविधि किसके द्वारा क्रियान्वित की जायेगी:

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा।

परिणाम निष्कर्ष:

1. ससमय FMR बैंक जमा, नकद राशि, तत्कालीन अग्रिम तथा बैंक समाधान का मासिक एवं त्रैमासिक का समर्पण
2. जिला स्तर पर मासिक रूप से Concurrent Audit एवं प्रखंड स्तर पर त्रैमासिक Concurrent Audit होना एवं प्रतिवेदन का समर्पण।
3. राज्य स्तर के त्रैमासिक एवं वार्षिक Statutory Audit में आवश्यक सहयोग से अंकेक्षण कार्य में शुद्धता एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन का समय पर समर्पण।

ईकाई राशि (रूपये लाख में):

1. जिलावार अधिकतम रूपये 20,000/- प्रतिमाह अर्थात् 2,40,000/- प्रति जिला प्रतिवर्ष अधिकतम।
2. अधिकतम 20,000/- प्रतिमाह ।
3. वित्त प्रबंधक

वित्तीय दिशा-निर्देश:

1. यह चयन कोटेशन/निविदा के आधार पर होगा एवं राशि खर्च करने का माध्यम जिला स्वास्थ्य समिति होगी।
2. जिलों के द्वारा इस संबंध में ससमय कारवाई न किया जाना तथा अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं होना।

जिला स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रखने हेतु अधिकतम राशि रूपये 20,000/-प्रतिमाह रखी गयी है जिसमें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा उन सभी कार्यों का संपादन करना होगा जो उन्हें अनुबंधित करते समय अनुबंध में उल्लेखित होगा। इसका भुगतान Financial Biri/Technical Biri से किया जाएगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) ED-364, दिनांक 11.04.2008

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : श्री के०एल० दास

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर : 9470003021

Dei
7/6/10
AM

Part-B